Title: Regarding atrocities on Dalits in Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh and other parts of the country.

श्री राजाराम पाल (बिल्हौर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आज मैं आपके माध्यम से इस देश के सबसे अति लोक महत्व के प्रश्न को शून्य प्रहर में उठाना चाहता हूं । आजादी के 57 साल के बाद भी दलित अत्याचार और छुआछूत के मामले देश के सामने आ रहे हैं । आज भी कई राज्य मध्य युग में जी रहे हैं । मान्यवर, इन राज्यों में प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि हैं । इन राज्यों में बड़े पैमाने पर दलित अत्याचार व छुआछूत के मामले प्रकाश में आते रहते हैं । संचार की क्रांति और आधुनिकता और प्रगतिशील के मोड़ पर खड़े होने के दावे के बावजूद ये तथ्य हमारे ऊपर किसी तमाचे से कम नहीं हैं । आज भी देश के कई हिस्सों में छुआछूत कायम है तथा दलितों के ऊपर बड़े पैमाने पर अत्याचार हो रहे हैं । हमारे ही समाज का एक बड़ा हिस्सा इन बुराइयों को समाप्त करने के तमाम प्रयासों के बावजूद मध्य युग में जी रहा है । देश में उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश में दलित समुदाय के साथ छुआछूत की बुराई व्यापक रूप से विद्यमान है । यही नहीं सरकार ने गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल आदि राज्यों में अस्पृश्यता की प्रवर्तना को इंगित किया है । महात्मा गांधी से ले कर कई राष्ट्रीय नेताओं के छुआछूत के विरुद्ध अथक प्रयास के बावजूद, आज भी देश के कई हिस्सों में यह अंधेरा कायम है ।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दलित समाज से छुआछूत की अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत सरकार की कई बार आलोचना हो चुकी है, मगर इस समस्या पर आज भी प्रभावी ढंग से नियंत्रण नहीं हो पाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के मुताबिक वर्ष 2000 से ले कर आज तक देश में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत लगभग 1000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं । साथ ही साथ भारतीय संसद के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी समिति 2004-05 के चौथे प्रतिवेदन में दलित समाज पर अत्याचार और उनके प्रति सामाजिक अपराधों पर खास तौर से रोशनी डाली गई है । इस रिपोर्ट में भारत के अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत को किसी भी रूप में निषिद्ध किया गया है परन्तु देश के कुछ भागों में आज भी छुआछूत और अत्याचार दलितों पर किए जा रहे हैं । आज भी दलित समाज के लोगों के सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश करने पर, मंदिरों में प्रवेश करने पर तथा पेयजल के मामले में बड़े पैमाने पर भेदभाव बरता जा रहा है । आज पेयजल की समस्या को ले कर पूरे देश में दलित समाज के साथ बुरी तरह से व्यवहार किया जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं और उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं । यह बहुत चिंता का विषय है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज भी पूरे देश में सामूहिक रूप से दलित समाज की बस्ती की बस्ती जलाई जाती है । उनके यहां डकैती और हत्या के मामले बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने तो भाषण देना शुरू कर दिया है ।

श्री राजाराम पाल : मान्यवर, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत 11 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, नागालैंड, जम्मू-कश्मीर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और चार संघ प्रदेशों में और अन्य राज्यों में भी दलित उत्पीड़न के मामले सामने आए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए ।

श्री राजाराम पाल : मान्यवर, छुआछूत प्रवर्तन की इन सभी राज्यों में पहचान की गई है । उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में दलित उत्पीड़न और अन्याय का प्रतिशत 63.5 फीसदी है जबकि दूसरे राज्यों में 33.5 फीसदी है । â€¦(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Athawale, please sit down. If you wish to say anything, you may go to your seat.

...(*Interruptions*)

श्री राजाराम पाल : संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ भीम राव अम्बेडकर ने ठीक ही कहा था कि किसी देश के संविधान में कितनी ही अच्छाइयां क्यों न हों जब तक देश पर शासन करने वालों की मंशा अच्छी नहीं होगी तब तक संविधान बेकार है । बाबा साहब अम्बेडकर ने दलित समाज के संरक्षण के लिए संसद में दोहरे वोट देने के अधिकार देने का काम किया था लेकिन श्री गांधी और कांग्रेस ने दोहरे वोट को छीनने का काम किया है ।â€¦(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन कांग्रेस ने दोहरे वोट का अधिकार छीनने का काम किया था। माननीय बाबा साहेब अम्बेडकर जानते थे कि अगर दलित समाज को दोहरे वोट का अधिकार मिल जाएगा, तो â€¦(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रिकॉर्ड पर अब नहीं जाएगा। आप कृपया बैठिए। श्री हरिसिंह चावड़ा।

कुँवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, गांधी जी ने हरिजन की झोंपड़ी से आन्दोलन शुरू किया था। कांग्रेस ने आरक्षण दिया। â€¦(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions)**

श्री हरिसिंह चावड़ा (बनासकांठा) : उपाध्यक्ष महोदय, â€¦(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions)**

कुँवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे शब्दों को कार्यवाही में से निकाला जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कह दिया है कि रिकार्ड पर नहीं जा रहा है।

...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions)**

उपाध्यक्ष महोद्य : आप ्बैठिए। कुछ ्भी रिकार्ड पर नहीं जा रहा है।

...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing is going to be recorded.

*(Interruptions)**

श्री रामजीलाल ्सुमन (फ़िरोज़ा्बाद) : उपाध्यक्ष महोद्य, â€¦(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोद्य : रामजीलाल ्सुमन जी, आप ्बैठिए। आप जो ्भी ्बोल रहे हैं, ्वह रिकॉर्ड पर नहीं जा रहा है। श्री रामदा्स ्बंडु आठ्वले जी, आप ्भी ्बैठिए। रिकॉर्ड पर कुछ नहीं जा रहा है।

...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have already said that nothing is going to be recorded.

*(Interruptions)**

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.

...(व्यवधान)

*Not Recorded